

## कार्यालय जिलाधिकारी बस्ती

संख्या-मु0चि0अ0/आयुष्मान भारत/2018-19/21592

दिनांक 03 जनवरी 2019

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी  
बस्ती।


विषय-कॉमन सर्विसेज सेन्टर (जन सेवा केन्द्र) द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों का गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। तत्कम में अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के पास गोल्डेन कार्ड होना अनिवार्य है। गोल्डेन कार्ड बनाने की व्यवस्था योजनान्तर्गत आबद्ध समस्त चिकित्सालयों में की गयी है। जिन लाभार्थियों को उपचार की आवश्यकता है, वह अनुबन्धित चिकित्सालयों में जाकर अपना गोल्डेन कार्ड तत्काल बनवा सकते हैं, जिसके लिए लाभार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

भारत सरकार एवं सी0एस0सी0 ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि0 के मध्य अनुबन्ध के अनुसार जन सेवा केन्द्रों (Common service center) में भी पात्र व्यक्तियों के गोल्डेन कार्ड बनाये जा सकते हैं। जन सेवा केन्द्र पर लाभार्थी को गोल्डेन कार्ड लैमिनेट करने के उपरान्त उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके लिए लाभार्थी द्वारा मात्र तीस रुपये का भुगतान जन सेवा केन्द्र को करना होगा।

अतएवं उपरोक्त सूचना तत्काल प्रसारित कराना सुनिश्चित करे।



(डा0राज शेखर)  
जिलाधिकारी  
बस्ती।  
तददिनांक

संख्या-मु0चि0अ0/आयुष्मान भारत/2018-19/

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती।
- 2-मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयुष्मान भारत-एन0एच0पी0एम0/साचीज लखनऊ।
- 3-अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बस्ती मण्डल बस्ती।
- 3-मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती।
- 4-वरिष्ठ प्रबन्धक, सी0एस0सी0 ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि0 उत्तर प्रदेश।

(डा0राज शेखर)  
जिलाधिकारी  
बस्ती।